THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) (a) to (c) the item-wise and country-wise details of exports and imports are published by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) in their publication "Foreign Trade Statistics of India (Principal Commodity & Countries)". The Policy and Procedures for Export and Import are contained in Export and Import Policy, 1992—97 and the Handbook of Procedures, (Volume I & II), 1992—97. The copies of above publications are available in Parliament Libarary.

National Authority for Elimination of Child Labour

*310. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether at a meeting of National Authority for Elimination of Child Labour (NAECL) held on 10th July, 1995 he had rejected the ILO's offer for fudns for the progremmes like Elimination of Child Labour; and

(b) if so, the facts and circumstances leading to such refusal?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Realising the magnitude of the problem and the substantial funding required, Government have considered it appropriate to provide sufficient funds themselves through budget for various programmes aimed at eliminating child labour in hazardous occupations. It is also for this reason that Government have decided to discontinue receiving funds from the ILO for the purpose. It has, however, been decided that the on-going externally funded projects would run their whole implementation period. This decision was conveyed to the ILO authorities and the members of the National Authority for Elimination of Child Labour were also apprised of the development at its meeting on 10th July, 1995.

लेवी चीनी का आवंटन

*311. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 31 जुलाई, 1995 और 14 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में क्रमशः अतारांकित प्रश्न 2 और 1414 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के 30 नवम्बर तक आवंटित लेवी चीनी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या बिहार सरकार ने लेवी चीनी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान 30 नवम्बर तक लेवी चीनी के आवंटन का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। *(नीचे देखिए)*

(ख) बिहार सरकार ने 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्हें प्रतिमाह किए जाने वाली लेवी चीनी के आवंटन को बढ़ाकर 37000 मी॰ टन किए जाने का अनुरोध किया था। 1991 की जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लेवी चीनी के कोटे में 1 जनवरी, 1996 से संशोधन करने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, बिहार को जनवरी, 1996 माह से मासिक लेवी चीनी का 36707 मी॰ टन कोटा दिया गया है।

विवरण
जनवरी से नवम्बर तक चीनी का आवंटन

(आंकड़े मी० टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993	1994	1995
1.	आन्ध्र प्रदेश	299609	289497	289497
2.	अरूणाचल प्रदेश	3724	3596	3596
3.	असम	113974	110126	110126
4.	बिहार	305530	382146	382146
5.	गोवा	5820	5650	5650
6.	गुजरात	191922	185442	185442
7.	हरियाणा	75679	73127	73127
8.	हिमाचल प्रदेश	23928	23120	23120
9.	जम्मू और कश्मीर	34176	35544	35796
10.	कर्नाटक	210577	203473	203473
11.	केरल	141661	136877	136877
12.	मध्य प्रदेश	296649	286633	286633
13.	महाराष्ट्र	354799	342823	342823
14.	मणिपुर	8227	7947	7947
15.	मेघालय	7845	7581	7481
16.	मिजोरम	3092	2988	2988
17.	नागालैण्ड	5045	4877	4833
18.	उड़ीसा	146873	141913	141913
19.	पंजाब	94154	90978	90978
20.	राजस्थान	200452	193684	193684
21.	सिक्किम	1953	1889	1889
22.	तमिलनाडु	267204	258188	258188
23.	त्रिपुरा	11863	11463	11463
24.	उत्तर प्रदेश	627228	606060	606060
25.	पश्चिम बंगाल	306798	296446	296446
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2923	2827	2827
27.	चंडीगढ़	4413	4261	4261
28.	दादरा व नगर हवेली	608	584	584
29.	दमण व दीव	463	447	447
30.	दिल्ली	109043	112755	112755
31.	लक्षद्वीप	847	815	815
32.	पांडिचेरी	4708	4548	4548

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त आंकड़ों में सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय सुरक्षा बल आदि जैसे अर्ध-सैनिक बलों को लेवी चीनी का आवंटन शामिल नहीं है।
2. वर्ष 1995 के लिए इंगित मात्रा में निम्नलिखित छः राज्यों को उनके अनुरोध पर जनवरी 1995 और नवम्बर 1995 के बीच दिए गए त्यौहार कोटा का तदर्थ आवंटन शामिल नहीं है:—

1. केरल	1800.00 मी० टन (सितम्बर 95)
2. गोवा	37.50 मी० टन (सितम्बर 95)
3. कर्नाटक	2675.00 मी० टन (अक्तूबर 95)
4. आन्ध्र प्रदेश	3807.00 मी० टन (अक्तूबर 95)
5. मणिपुर	104.00 मी० टन (नवम्बर 95)